JAIPUR METRO

जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड

खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर – 302015

दूरभाष 0141–5192407

प्रेस रिलीज दिनांकः 16.08.2016

गंदगी करने एवं सेफ्टी की अवहेलना पर अभी तक 1400 मेट्रो यात्री दण्डित किये गये।

जयपुर मेट्रो रेल प्रशासन ने गत 14 माह के संचालन के दौरान 1400 से अधिक यात्रियों को मेट्रो रेलवे (परिचालन एवं अनुरक्षण) एक्ट, 2002 की विभिन्न धाराओं के तहत स्टेशनों एवं ट्रेनों में गंदगी करने एवं सेफ्टी की अवहेलना करने पर टोकन पेनल्टी के रूप में करीब 2 लाख 86 हजार रूपये की आर्थिक पेनल्टी से दण्डित किया।

स्वच्छ भारत अभियान के तहत जयपुर मेट्रो के सभी 9 स्टेशनों पर चौबीसों घंटे हाउसकीपिगं एवं मशीनीकृत सफाई की व्यवस्था हेतु प्रत्येक स्टेशन पर करीब 15 सफाईकर्मी 10 विभिन्न प्रकार की आधुनिक मशीनों, औजारों तथा सामान के साथ हमेशा तत्पर रहते हैं। स्टेशनों एवं ट्रेनो में गंदगी नहीं करने, नहीं थूंकने, खानपान की मनाही तथा धूम्रपान निषेध आदि के साईनेज एवं पोस्टर भी लगाये गये हैं। पूरे मेट्रो स्टेशन परिसरों एवं ट्रेनों की सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जाती है ताकि कोई भी अपराध रिकॉर्ड किया जा सके।

परिचालन एवं प्रणाली निदेशक सी.एस. जीनगर ने बताया कि इस अवधि में मुख्यतया प्रत्येक प्रकरण में 200 रूपये के आर्थिक दण्ड से 1135 यात्रियों (कुल प्रकरणों का 80 प्रतिशत) को स्टेशनों पर थूंकने/ पीक से गंदा करने, कचरा डालकर सफाई बिगाड़ने, 235 यात्रियों (कुल प्रकरणों का 17 प्रतिशत) को अपनी जान खतरे में डालकर बिना अधिकार के मेट्रो ट्रेक पर चलने एवं एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए क्रास करने हेतु दण्डित किया गया। वहीं 8 यात्रियों को स्टेशनों को विरूपित करने पर प्रत्येक मामले में 500 रूपये की पेनल्टी लगाई गई। यह कुछ ही ऐसे प्रकरण थे, जहां मेट्रो एवं पुलिसकर्मियों ने इन अपराधों के लिए यात्रियों को रंगे हाथों पकड़ा एवं उनके मना करने पर उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखा कर उनके अपराध को प्रमाणित किया। सबसे अधिक 1 लाख 16 हजार रूपये यानी 580 पेनल्टी के प्रकरण मेट्रो के रेलवे स्टेशन पर दर्ज किये गये वहीं सबसे कम 5 हजार रूपये से कुल 25 यात्री श्याम नगर स्टेशन पर दण्डित किये गये।

जीनगर ने बताया कि यात्री अपनी सेफ्टी खतरे में ना डालें तथा मेट्रो की स्वच्छता बनाये रखते हुए सही तरह से यात्रा करें, इसके लिए स्टेशनों पर पोस्टर, जन उद्घोषणा प्रणाली एवं ग्राहक सहायकों/सफाईकर्मियों के माध्यम से यात्रियों में जागरूकता बढाई जा रही है ताकि यात्री बिना किसी परेशानी एवं पेनल्टी के स्वच्छ एवं संरक्षित वातावरण में मेट्रो यात्रा कर सकें।

जनसम्पर्क अधिकारी